36/2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज राजेन्द्र प्रसाद । रैगमा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपo। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इन्तजार विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 6/5/2022 को पेश हो।	
06/05/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.04.2022 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादी सं. 6 ने बताया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारान के मध्य रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे उभय पक्ष भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू. अ./2022/2133 दिनांक 04.05.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काविज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। ... रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली ... होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:51:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner